# न्यायालय सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी– डॉ रविन्द्र गोस्वामी,आई.ए.एस

| प्रार्थीगण | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. बबी देवी पत्नी मोहन लाल<br>2. फता राम पुत्र नोपा राम<br>जातियान मेगवाल निवासियान देलदर | | 1. चेत राम पुत्र सांवल्या, जाति मीणा निवासी गांव आम का जाहरा तहसील नादौती जिला कारोली<br>2. ग्राम पंचायत देलदर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत देलदर तहसील आबूरोड<br>3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आबूरोड |

प्रार्थना पत्र तहत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या 38/2016

दिनांकः 22-01–2020

## निर्णय

यहकि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र तहत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीया बबी देवी की खातेदारी भूमि मौजा देलदर पटवार हल्का देलदर के खसरा नंबर 593 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा एवं प्रार्थी फता राम की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 603/1463, 693 कुल किता दो कुल रकबा 03.00 बीघा कृषि भूमि आई हुई है। प्रार्थीया के खसरा संख्या 593 की कृषि भूमि के पूर्वी दिशा मे अप्रार्थी संख्या एक के खातेदारी की खसरा संख्या 594 एवं 595 की कृषि भूमि स्थित है तथा उसके बाद आगे पूर्व दिशा की ओर ही अप्रार्थी संख्या दो के खातेदारी की खसरा संख्या 581 की भूमि स्थित है जो देलदर से भारजा जाने वाली आम डामर सडक से लगती हुई है। प्रार्थीगण की खसरा संख्या 593 एवं 603/1463 की कृषि भूमि मे जाने के लिये उक्त देलदर से भारजा जाने वाली सडक से लेकर खसरा संख्या 593 तक संलग्न नक्शे मे हरे रंग से दर्शित अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की उक्त भूमि मे उत्तरी किनारे पर पगडंडी बनी हुई है। जिससे खसरा संख्या 593 मे पहूंचा जाता है और खसरा संख्या 593 की भूमि मे से खसरा संख्या 603/1463 की भूमि आना–जाना होता है। उक्त पगडंडी बहुत ही सकरी है जो एक डेढ फिट चौडाई मे ही है और उसमें भी कही कही पर आधा फिट चौडाई मे ही है जिस कारण प्रार्थीगण को अपनी उक्त जोत पर आने जाने मे समस्या का सामना करना पडता है। जिस कारण से प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या एक व दो की खसरा संख्या 594, 595 एवं 581 की भूमि मे से होकर गुजर रही संलग्न नक्शे मे हरे रंग से दर्शित पगडंडी को चौडा कर 15 फिट नाप की चौडाई का मार्ग बनाने का कथन किया है।

हमने प्रकरण को दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगण संख्या एक व दो बावजूद नोटिस तामिली के अनुपस्थित होने से इनका जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या तीन का जवाब प्राप्त। अप्रार्थी संख्या तीन ने अपने जवाबदावे मे कथन किया कि अप्रार्थी संख्या एक से खसरा नंबर 594 मे से रास्ता चाहा है। एवं अप्रार्थी संख्या दो खसरा नंबर 581 किस्म गै0मु0 गोचर मे से रास्ता चाहा है।

हमने एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा मौजा देलदर के खसरा नंबर 581 किस्म गै0मु0 गोचर एवं अप्रार्थी संख्या एक की अन्य भूमि मे से 15 फिट चौडा रास्ता विस्तार करना चाहा है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आधार पर खारीज किया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा खसरा नंबर 581 किस्म गै0मु0 गोचर मे रास्ता चाहा है जो प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है।

## आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा खसरा नंबर 581 किस्म गै0मु0 गोचर मे से रास्ता का विस्तार करना चाहा है जो प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आधार पर खारीज किया जाता है। प्रार्थीगण रास्ता हेतु गैर प्रतिबंधित भूमि या उचित माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 22/01/20 को से इजलास सुनाया गया।

(डॉ रविन्द्र गोस्वामी) I.A.S.
सहायक कलेक्टर आबूपर्वत

सहायक कलेक्टर
आबू-पर्वत

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.
Ravindra Goswami
Date: 2020.02.04 15:48:34 IST
Reason: SelfAttested